



न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)
COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department
बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0को05 (प्र0सं0)/2019

12.09/आ.नि.81

दिनांक-08 सितम्बर 2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

- (1) अनुमण्डल पदाधिकारी,
बिहारशरीफ, राजगीर, एवं हिलसा।
- (2) सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी,
जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन मशक्तिकरण कोषांग, नालन्दा।

विषय :- कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से इसके कार्यान्वयन का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/ भौतिक अनुश्रवण करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय पत्र सं0-581/आ0नि0को0 दि0-28.02.2020, पत्र सं0-744/आ0नि0को0 दि0-24.03.2020 एवं पत्र सं0-1161/आ0नि0को0 दि0-28.08.2020

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के विषय में राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से बिहारशरीफ, राजगीर, एवं हिलसा अनुमण्डलों एवं प्रखण्डों का दिनांक-13.09.2020 से 19.09.2020 तक कार्यान्वयन का क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण किया जाना है, जिससे सम्बन्धित कार्यक्रम विवरणी निम्नवत है :-

राज्य आयुक्त निःशक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	आगमन/प्रस्थान/ समय सारणी	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम
1.	13/09/2020 (रविवार)	04:00 PM से 05:00 PM बजे तक	नालन्दा (बिहारशरीफ)	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता का आयोजन एवं जिला परिसदन में रात्रि विश्राम।
2.	14/09/2020 (सोमवार)	10:00 AM से	नालन्दा (बिहारशरीफ)	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)
3.		भोजनावकाश		
4.		भोजनावकाश उपरांत	राजगीर अनुमण्डल अन्तर्गत आने वाले प्रखण्ड : राजगीर, बेना, सिलाव, गिरियक, कतरीसराय	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम एवं राजगीर परिसदन में रात्रि विश्राम।

5.	15/09/2020 (मंगलवार)	10:00 AM से	राजगीर अनुमण्डल	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम एवं राजगीर परिसदन में रात्रि विश्राम।
6.	16/09/2020 (बुधवार)	10:00 AM से	हिलसा अनुमण्डल अन्तर्गत आने वाले प्रखण्ड : हिलसा, धरधरी, करायपरशुराय, इस्लामपुर, एकनगरसरीय, परवलपुर, घण्टी तथा नैगरीनासा	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम एवं हिलसा परिसदन में रात्रि विश्राम।
7.	17/09/2020 (गुरुवार)	10:00 AM से	हिलसा अनुमण्डल	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम एवं हिलसा परिसदन में रात्रि विश्राम।
8.	18/09/2020 (शुक्रवार)	10:00 AM से	बिहारशरीफ अनुमण्डल अन्तर्गत आने वाले प्रखण्ड : बिहारशरीफ, अस्थावा, सरमेरा, नूरसराय, रहई, बिन्द, हरनौत	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम एवं बिहारशरीफ परिसदन में रात्रि विश्राम।
9.	19/09/2020 (शनिवार)	10:00 AM से	बिहारशरीफ अनुमण्डल	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम
10.	19/09/2020 (शनिवार)	बिहारशरीफ अनुमण्डल से पटना के लिए वापसी।		

विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित जिला स्तरीय पदाधिकारी भाग लेंगे।

अनुमण्डल स्तर की समीक्षा बैठक में अनुमण्डलाधिकारी, अपर अनुमण्डलाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी भाग लेंगे।

प्रखण्ड स्तर की समीक्षा बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, जल विकास संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि भाग लेंगे।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

अतः सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, नालन्दा से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिव्यांगों को राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने, अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम में सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

राज्य आयुक्त निःशक्ती,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

1207/आ.नि.81

दिनांक-08 सितम्बर 20

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम में सहयोग हेतु सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

राज्य आयुक्त निःशक्ती,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

1207/आ.नि.81

दिनांक-08 सितम्बर 20

प्रतिलिपि:-बिहारशरीफ, राजगीर एवं हिलसा अनुमण्डल अन्तर्गत शामिल विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य आयुक्त निःशक्ती,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

1207/आ.नि.81

दिनांक-08 सितम्बर 20

प्रतिलिपि:-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजगीर, बेना, सिलाव, गिरियक, कतरीसराय, हिलसा, थरथरी, करायपरशूराय, इस्लामपुर, एकंगरसराय, परवलपुर, चण्डी, नगरनौसा, बिहारशरीफ, अस्थावाँ, सरमेरा, नूरसराय, रहई, बिन्द एवं हरनौत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य आयुक्त निःशक्ती,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

1207/आ.नि.81

दिनांक-08 सितम्बर 20

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त निःशक्ती,
बिहार, पटना।